



(1)

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 156]
No. 156]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2011/श्रावण 10, 1933
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2011/SRAVANA 10, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2011

फासं. 2-15015/30/2010 (अ) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 20 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, जहाँ तक वे खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 से संबंधित हैं, बनाने का प्रस्ताव करता है, और;

विनियमों का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खण्ड 4 में तारीख 20 अक्टूबर, 2010 को पृष्ठ 1 से 776 में समेकित रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस तारीख, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, से तौस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले, उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां 21 अक्टूबर, 2010 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पण्धारियों से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है।

अतः, अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्—

खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट)

विनियम, 2011

अध्याय 1

साधारण

1.1 : संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1.1.1 : इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 है।

1.1.2 : ये विनियम, 5 अगस्त, 2011 को या इसके प्रयुक्ति शुरू होने के बाद लागू होंगे।

1.2 : परिभाषा-

1. “फसल संदूषक” से ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जो खाद्य पदार्थ में जानवृत्त कर विश्रित नहीं किया जाना चाहिए जो उनके उत्पादन (फसल पालन, पशुपालन और पशु औषधि में किए गए प्रचालनों सहित), विनिर्माण, प्रसंस्करण, तैयारी, उपचार, पैकेजिंग, पैकेजिंग, भारिंग आदि पर्यावरणीय संदूषण के परिणामस्वरूप ऐसे खाद्य पदार्थ संबंधित की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों में विश्रित हो जाता है।

अध्याय 2

संदूषक, आविष और अवशिष्ट

2.1 : संदूषक

2.1.1

(1) भारतीय भेषज कोष के मोनोग्राफ में वर्णित रसायनों में जब उनको खाद्य में उपयोग किया जाए, उत्समय प्रदूषक लार्टीट धोजन कोष के समुचित मोनोग्राफों में विनिर्दिष्ट सीमा के परे धातु संदूषक अंतर्विष्ट नहीं होते।

(2) विनियम 2.1.1(1) के उपबंधों के होते हुए भी, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट खाद्य की किसी भी सामग्री के द्वारा सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक कोई विनिर्दिष्ट धातु नहीं होगी :

सारणी

संदूषक धातु का नाम	खाद्य पदार्थ	मात्रानुसार धातु प्रति दस लाख
(1)	(2)	(3)
१. सीसा	(i) पेय : सादित मृदु पेय (किन्तु इसके अंतर्वित मृदु पेयों के विनिर्माण में, प्रयुक्ति संदूषक नहीं है) ०.५	०.५
	फल और सब्जी रस (जिसके अंतर्गत टमाटर रस भी है किन्तु इसके अंतर्वित लकड़ी जूस और नीम्बू का रस नहीं है) २.०	२.०
	मृदु पेयों, लाइम जूस, और नीम्बू रस के विनिर्माण में प्रयुक्ति संदूषक २.०	२.०
	(i-क) बैकिंग पाउडर १.०	१.०
	(i-ख) खाद्य तेल और बसा ०.५	०.५
	(i-ग) शिशु दुग्ध अनुकल्प और शिशु आहार ०.२	०.२
	(i-घ) हल्दी सूजुत और चूर्ण १०.०	१०.०
	(ii) अन्य खाद्य एनडाइड्रस, डेक्ट्रोज मोनोहाइड्रेट खाद्य तेल और दस्ती, एरिज्यूल सॉफ्टेन चीली सॉफ्टेनिंग एसेंट तंत्र (०.३ प्रतिशत से अधिक न हो) ०.५	०.५
	आईडीएम, आईसर लोली और ऐसे ही ज्वाए हुए कल्पकशन १.०	१.०

(1)	(2)	(3)
डिब्बावंद मछली, डिब्बावंद मांस, खाद्य चिलेटिन, मांस सारतत्व और हाइडलीकृत प्रोटीन खुला या निर्जलित सब्जी (प्याज से मिन)	5.0	
सभी प्रकार की चीनी, चीनी का सिरप, इन्वर्ट चीनी और सीधे उपयोग की रेजिस्ट्रेशन चीनी जिसमें सल्फेटेड कृत भस्म तत्व 1.0 प्रतिशत से अधिक है।	5.0	
कच्ची चीनी, उसको छोड़कर जो सीधे उपयोग के लिए बेची जाती है या परिस्कृत चीनी के विनिर्माण से मिन विनिर्माण प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती है।	5.0	
खाद्य सीरा, केरोमेल, द्रव और ठोस ग्लूकोस और स्टार्च कन्वर्जन उत्पाद जिसमें 1.0 प्रतिशत से अधिक सल्फेटी कृत भस्म तत्व हैं	5.0	
कोक्को पाउडर	5.0	शुष्क वसा मुक्त पदार्थ पर
खमीर और खमीर उत्पाद	5.0	शुष्क पदार्थ पर
चाय, निर्जलित प्याज, सूखी हर्ब और चसाले, सुरुचिकारक, अल्पीनीक अम्ल, एल्कीनेट्स, अगर, केरागीन और अन्य उत्पाद जो समुद्री शैवाल से प्राप्त किए गए हैं। द्रव पैकिट्स, रसायन जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं, किन्तु खाद्य ले संघटक के रूप में या उसकी निर्मिति में या उसके प्रसंस्करण में प्रयोग किए जाते हैं।	10.0	शुष्क पदार्थ पर
केरोमेल से मिन खाद्य रेज़क	10.0	
ठोस पैकिट्स	10.0	सूखी रेज़क मुक्त पदार्थ पर
हार्ड बॉल्ड शुगर कॉफैक्शनरी	2.0	
लौह प्रबलित सामान्य नमक	2.0	
कार्बनेड बीफ, लंचन मीट, कुक्कड हैम, चोप्प मीट, डिब्बावंद चिकन, डिब्बावंद मटन और गोट मीट तथा अन्य संवर्धित मीट उत्पाद।	2.5	
किञ्चित विनेगर और सरिलष्ट विनेगर	2.5	
(iii) खाद्य जो लिनिर्दिष्ट नहीं हैं	2.5	
2. चंदा		
(i) पेय :		
मूँग पेय, साद्र और कार्बनिकृत चल को छोड़कर	7.0	
कार्बनिकृत जल	1.5	
लाडी	5.0	
मूँग प्रेसी के लिए सांस	20.0	
(ii) अन्य खाद्य		
सूखी और भूनी हुई कासनी, काफी की फली, सुरुचिकारक/पैकिट्स द्रव	30.0	
द्रव रेज़क	30.0	सूखे रेज़क पदार्थ पर

(1)	(2)	(3)
खाद्य जिलेटिन		30.0
टमाटर के चअप		50.0 सूखे पदार्थ पर
खमीर और खमीर उत्पाद		60.0 सूखे पदार्थ पर
कोका चूर्ण		70.0 बसा मुक्त पदार्थ
टमाटर घूरी, पेस्ट, चूर्ण, रस तथा कोकटेल		100.0 सूखे टमाटर ठोस पर
चाय		150.0
पैकिटन ठोस		300.0
हार्ड बॉइल्ड शुगर कन्फैक्शनरी		5.0
लौह प्रबलित सामान्य नमक		2.0
हल्दी साबुत और चूर्ण		5.0
संतरे, अंगूर, सेब, टमाटर, अनानास और नींबू का रस		5.0
किसी फल का गूदा और गूदा उत्पाद		5.0
शिशु दुग्ध अनुकृत्या और शिशु आहार		15.0 (कितु 2.8 से कम नहीं)
किण्वित विनेगार और सॉशिलष्ट विनेगार		शून्य
भूनी शक्कर		20
(iii) खाद्य जो विनिर्दिष्ट नहीं है		30.0
3. आरसेनिक		
(i) दूध		0.1
(ii) पेय :		
कार्बनिकृत जल को छोड़कर तनुकरण के पश्चात् उपभोग के लिए आशयित मृदु पेय		0.5
कार्बनिकृत जल		0.25
शिशु दुग्ध अनुकृत्या और शिशु आहार		0.05
हल्दी साबुत और चूर्ण		0.1
संतरे, अंगूर, सेब, टमाटर, अनानास और नींबू का रस		0.2
किसी फल का गूदा और गूदा उत्पाद		0.2
परिस्की प्रति आक्सीकारक, पायसीकारक और स्थायीकारक और कृत्रिम खाद्य रंग		3.0 सूखी सामग्री पर
आईसक्रीम, आईस लोली और ऐसे ही जमाए हुए कन्फैक्शन		0.5
निर्जलीकृत प्याज, खाद्य जिलेटिन, द्रव पैकटीन		2.0
कासनी सूखी या भूनी रुई		4.0
सूखी हर्ब, फाइनिंग और स्वच्छताकारक अभिकर्मक और सभी ग्रेड के ठोस पैकटीन, अभिकर्मक, भसाते		5.0

(1)	(2)	(3)
	कृत्रिम रंजक से मिल खाद्य रंग	5.0 सूखे रंजक पदार्थ पर
	हार्ड बॉइल्ड शुगर कन्फैक्शनी	1.0
	लौह प्रबलित सामान्य नमक	1.0
	किणिक विनेगार और सॉशिलष्ट विनेगार	0.1
	(iii) खाद्य जो विनिर्दिष्ट नहीं है	1.1
4. दिन	(i) प्रसंस्कृत और डिब्बाबंद उत्पाद	250.0
	(i-क) हार्ड बॉइल्ड शुगर कन्फैक्शनी	5.0
	(i-कक) चैम, चैली और मारमलाड	250
	संतरे, सेब, टमाटर, अनानास और नींबू का रस	250
	किसी फल का गूदा और गूदे का उत्पाद	250
	(i-ख) शिशु दुग्ध अनुकूल्य और शिशु आहार	5.0
	(i-ग) हल्दी साबुत और चूर्ण	शून्य
	(i-घ) कार्नडबीफ, लंचन मीट, कुक्कड हैम, चोप मीट, डिब्बाबंद चिकन, डिब्बाबंद मटन और बकरे का मीट तथा अन्य संवर्धित मीट उत्पाद	250
	(ii) खाद्य जो विनिर्दिष्ट नहीं है	250
5. जस्ता	(i) पीने के लिए तैयार पेय	5.0
	संतरे, अंगूर, टमाटर, अनानास और नींबू का रस	5.0
	किसी फल का गूदा और गूदे का उत्पाद	5.0
	(i-क) शिशु दुग्ध अनुकूल्य और शिशु आहार	50.0 (किन्तु 25.0 से कम नहीं)
	(ii) खाद्य जिलेटिन	100.0
	(ii-क) हल्दी साबुत और चूर्ण	25.0
	(iii) फल और शाक उत्पाद	50.0
	(iii-क) हार्ड बॉइल्ड शुगर कन्फैक्शनी	5.0
	(iv) खाद्य जो विनिर्दिष्ट नहीं है	50.0
6. केडमियम	(i) शिशु दुग्ध अनुकूल्य और शिशु आहार	0.1
	(iii) हल्दी साबुत और चूर्ण	0.1
	(iii) अन्य खाद्य	1.5
7. पारद	मछली	0.5
	अन्य खाद्य	1.0

(1)	(2)	(3)
8. मेथिल पारद	सभी खाद्य (मूल चर्ब रूप में प्रक्रियित)	0.25
9. क्रोमियम	रिफाइंड चीनी	20 ग्राम से लाख ग्राम
10. निकल	सभी हाइड्रोजनीकृत आरोग्यक रूप से हाइड्रोजनीकृत, इटस्ट्रीफ़ाइड व्हेस्टिंग तेल और दस्ता जैसे बनस्पति, टेजल मारगरीन, बेकरी और औद्योगिक मारगरीन, बेकरी - अबकुचन, फैट ग्रेड और आरोग्यक रूप हाइड्रोजनीकृत सोयाबीन का तेल	1.5

2.2 : फसल संदूषक और प्राकृतिक रूप से आने वाले विषेश पदार्थ

2.2.1

(1) नीचे दी गई सारणी के स्तरम् (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई ऐसा फसल संदूषक, जो स्तरम् (1) में तत्त्वानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, उन मात्रों से अधिक नहीं होगा जो उक्त सारणी के स्तरम् (3) में तत्त्वानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं :

सारणी

क्र.सं	संदूषकों का नाम	खाद्य पदार्थ	घू.जी./कि.ग्रा.सीमा
1.	एफ्लाटोकिशन	सभी खाद्य पदार्थ	30
2.	एफ्लाटोकिशन एस	दूध	-0.5
3.	पटुलिन	सेब का जूस और अन्य फैलों में सेब के जूस के संबंधक	50
4.	ओक्साटोकिशन ए	गेहूं, जौ और रोटी	20

(2) प्राकृतिक रूप से आने वाले विषेश पदार्थ :

नीचे दी गई सारणी के स्तरम् (1) में विनिर्दिष्ट विषेश पदार्थ जो किसी खाद्य पदार्थ में प्राकृतिक रूप से आए, उस सीमा से अधिक नहीं होगे जो उक्त सारणी के स्तरम् (2) में तत्त्वानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं :

क्र.सं	पदार्थ का नाम	अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	अस्फिक्स अम्ल	100 भाग प्रति दस लाख
2.	हाइड्रोसाइडिक अम्ल	5 भाग प्रति दस लाख
3.	हाइपरोसिन	1 भाग प्रति दस लाख
4.	सेंफरेल	10 भाग प्रति दस लाख

2.3 : अंद्रशिष्ट

2.3.1 : कीटनाशियों के उपयोग पर नियमितन :

(1) विधियम 2.3.1 (ii) के उपर्योग के अधीन रहते हुए, खाद्य पदार्थों पर किसी कीटनाशी का सीधे उपयोग नहीं किया जाएगा :

प्रत्यु इष्ट विधियम की कोई भी बात उन घूमकों को लागू नहीं होगी जो कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 के अंतर्गत गठित रजिस्टरीकरण समिति द्वारा खाद्य पदार्थों पर उस रूप में प्रयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं और जिनकी सिफारिश की गई हैं।

(2) नीचे दी गई सारणी के स्तरम् (3) में उल्लिखित खाद्यों में स्थान (2) में उल्लिखित कीटनाशियों की मात्रा, स्तरम् (4) में विस्तृत स्थान सीमा से अधिक नहीं होगी।

क्रमांक	कीटनाशी का नाम	खाद्य	सहस्र सोमा प्रि.ग्रा./ किंवा. (प्राप्ति.ला.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ऐल्लिन, डील्लिन (यह खींचा ईल्लिन और डील्लिन पर अकेले या संयुक्त रूप से लागू की जाती है तथा उन्हें डील्लिन के रूप में अधिक्षिक्त किया जाता है)	खाद्यान् खाद्यान कुटे-पीसे दूध और दुध उत्पाद फल और शब्द मांस अंडे	0.01 शून्य 0.15 (वसा के आधेर पर) 0.1 0.2 0.1 (छिलका रहित अथार पर)
2.	कारबैरेल	मछली खाद्यान खाद्यान कुटे-पीसे पिण्डी और फजा चाले साथ आँख दूध शब्द बिल्डर (पूर्ण) हेटल महसूल चार्कल चिर	0.2 1.5 शून्य 10.0 0.2 5.0 1.0 1.0 0.50 2.50 5.00
3.	डील्लिन (अवशिष्ट रिस्प्लेसमेंट और ट्रांसफ्लोडेंट के रूप में मृण्य जाएगा)	खाद्यान खाद्यान कुटे-पीसे दूध और दुध उत्पाद शब्द फल चुक्कलर दूध शब्द दुध उत्पाद	0.02 शून्य 0.05 (वसा के आधेर पर) 0.2 0.1 0.3 1.25 (वसा के आधेर पर)
4.	ओडीटी (सीमेंट ओडीटी, ओडीटी और ओडीई पर अकेले या संयुक्त रूप से लागू की जाती है)	प्रथम ओडीटी शब्द, आलू चहरी	3.5

(1)	(2)	(3)	(4)
		मांस कुक्कुट और मछली अंडे	7.0 (कुल उत्पाद के आधार पर) 0.5 (छिलका रहित आधार पर)
5.	डी.डी.टी. (एकल)	कार्बनिकृत जल	0.001
6.	डी.डी.डी. (एकल)	कार्बनिकृत जल	0.001
7.	डी.डी.ई. (एकल)	कार्बनिकृत जल	0.001
8.	डायाजिनान	खाद्यान्न	0.05
		खाद्यान्न कुट-पीसे	शून्य
		शाक	0.5
9.	डाइक्लोरस (जहाँ सोंव हो डाइक्लोरो- एस्ट्रेप्लडिहाइड (डी.सी.ए.) अंश भी दिया जाएगा)	खाद्यान्न	1.0
		कुट्टा पिसा खाद्यान्न	0.25
		शाक	0.15
		फल	0.1
10.	डाइकोफोल	फल और शाक	5.0
		चाय (सूखी विनिर्मित)	5.0
		मिर्च	1.0
11.	डाइमेथेएट (अवशिष्ट को डाइमेथेएट के रूप में अवधारित किया जाएगा और उसे डाइमेथेएट के रूप में व्यक्त किया जाएगा)	फल और शाक	2.0
		मिर्च	0.5
12.	एंडोसल्फेन (अवशिष्टों को एंडोसल्फेन ए और बी तथा एंडोसल्फेन सल्फेट के कुल योग के रूप में मापा और व्यक्त किया जाएगा)	फल और शाक	2.0
		बिनौला	0.5
		बिनौला तेल (अपरिस्कृत)	0.2
		बंगाल चना	0.20
		हण मटर	0.10
		मछली	0.20
		मिर्च	1.0
		इलायची	1.0
13.	एंडोसल्फेन ए	कार्बनिकृत जल	0.001
14.	रंडोसल्फेन बी	कार्बनिकृत जल	0.001

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	एंडोसल्फेन -सल्फेट	कार्बनिकृत	0.001
16.	फेनिट्रोथियन	खाद्यान्न	0.02
		कुटे-पीसे खाद्यान्न	0.005
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.05 (वसा के आधार पर)
		फल	0.5
		शाक	0.3
		मास	0.03
17.	हैप्टाक्लोर (हैप्टाक्लोर और उसके इपाक्साइड की सम्मिलित अवशिष्टियों को हैप्टाक्लोर के रूप में अवधारित और व्यक्त किया जाएगा)	खाद्यान्न	0.01
		कुटे-पीसे खाद्यान्न	0.002
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.15 (वसा के आधार पर)
		शाक	0.05
		खाद्यान्न	37.5
18.	हाइड्रोजन साइनाइड	कुटे-पीसे खाद्यान्न	3.0
19.	हाइड्रोजन फार्सफाइड	खाद्यान्न	शून्य
		कुटे-पीसे खाद्यान्न	शून्य
20.	अकार्बनिक ब्रोमाइड (सभी स्रोतों से कुल ब्रोमाइड खाद्यान्न के रूप में अवधारित और व्यक्त)	खाद्यान्न	25.0
		कुटे-पीसे खाद्यान्न	25.0
		फल	30.0
		सूखे फल	30.0
		मसाले	400.00
21.	हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और आइसोमर		
	(क) अल्फा (α) आइसोमर	चावल दाना बिना पालिश किया हुआ	0.10
		चावल दाना पालिश किया हुआ	0.05
		दूध (पूर्ण)	0.025
		फल और शाक	1.00
		मछली	0.25
		कार्बनिकृत जल	0.001
	(ख) बोटा (β) आइसोमर	चावल दाना बिना पालिश किया हुआ	0.10
		चावल दाना पालिश किया हुआ	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)
		दूध (पूर्ण)	0.02
		फल और शाक	1.00
		मछली	0.25
		कार्बनिकृत जल	0.001
(ग) गामा (ग) आइसोमर लिंडेन के रूप में जाना जाता है		चावल को छोड़कर खाद्यान्न	0.10
		खाद्यान्न कुटे-पीसे	सूख्य
		चावल दाना बिना पालिश किया हुआ	0.10
		चावल दाना पालिश किया हुआ	0.05
		दूध	0.01 (पूर्ण आधार पर)
		दुग्ध उत्पाद	0.20
		दुग्ध उत्पाद (दो प्रतिशत से कम वसा)	0.20 (पूर्ण आधार पर)
		फल और शाक	1.00
		मछली	0.25
		अंडे	0.10 (छिलका रहित आधार पर)
		मांस और कुक्कुट	2.00 (पूर्ण आधार पर)
		कार्बनिकृत जल	0.001
(घ) डेल्टा (८) आइसोमर		चावल दाना बिना पालिश किया हुआ	0.10
		चावल दाना पालिश किया हुआ	0.05
		दूध (पूर्ण)	0.02
		फल और शाक	1.00
		मछली	0.25
		कार्बनिकृत जल	0.001
22. मेलाथियान (मेलाथियान को मेलाथियान और मेल आक्सान की सम्मिलित अवशिष्टियों के रूप में अवधारित और व्यक्त किया जाएगा)		खाद्यान्न	4.0
		कुटे-पिसे खाद्यान्न	1.0
		फल	4.0
		शाक	3.0
		सूखे फल	8.0
		कार्बनिकृत जल	0.001

(1)	(2)	(3)	(4)
23.	पैराथियान (पैराथियान और पैरा आक्सान की सम्मिलित अवशिष्टियों को पैराथियान के रूप में अवधारित और व्यक्त किया जाएगा)	फल और शाक	0.5
24.	पैराथियान मैथिल (पैराथियान मैथिल और उसके आक्सीजन अनुरूप की सम्मिलित अवशिष्टियों को पैराथियान मैथिल के रूप में अवधारित और व्यक्त किया जाएगा)	फल शाक	0.2 1.0
25.	फास्फ एमाइडन अवशेष (फास्फ एमाइडन और उसके डिसेथाइल व्युत्पन्नों के योग के रूप में अभिव्यक्त)	खाद्यान्न	0.05
26.	पाइरेथिन (पाइरेथिन I और II तथा पाइरेथिन के अन्य संरचनात्मक रूप से संबंधित कोटनाशीय संघटकों का योग)	कुटे-पीसे खाद्यान्न फल और शाक खाद्यान्न	शून्य 0.2 शून्य
27.	क्लोरीएनविनफोस (अवशिष्टों को क्लोरीएन-विनफोस के अल्फा और बिटा आइसोमर के रूप में मापा जाएगा)	कुटे-पीसे खाद्यान्न दूध और दुग्ध उत्पाद मांस और कुकुरु शाक मूँगफली बिनौला	शून्य 1.0 0.025 0.006 0.2 (वसा के आधार पर) 0.2 (कार्कस वसा) 0.05 0.05 (छिलका रहित आधार पर) 0.05
28.	क्लोरो बैंजीलेट	फल सूखे फल, बादाम और अखरोट	1.0 0.2 (छिलका रहित आधार पर)
29.	क्लोरपाइरिफोस	खाद्यान्न कुटे-पीसे खाद्यान् फल आलू और प्याज फूल गोभी और पत्ता गोभी अन्य शाक	0.05 0.01 0.5 0.01 0.01 0.2

(1)	(2)	(3)	(4)
30.	2, 4डी	मांस और कुक्कुट दूध और दुग्ध उत्पाद बिनौला बिनौला रेल (अपरिष्कृत) कार्बनिकृत जल खाद्यान्न कुटे-पीसे खाद्यान्न आलू *दूध और दुग्ध उत्पाद *मांस और कुक्कुट अंडे फल	0.1 (कार्कस वसा) 0.01 (वसा के आधार पर) 0.05 0.025 0.001 0.01 0.003 0.2 0.05 0.05 0.05 (छिलका रहित आधार पर) 2.0 5.0
31.	इथिओन (अवशिष्टों का इथिओन और इसके आक्सीजन अनुरूप के रूप में अवधारित और इथिओन के रूप में व्यक्त किया जाएगा)	खीरा और स्वचैश अन्य शाक बिनौला दूध और दुग्ध उत्पाद मांस और कुक्कुट अंडे खाद्यान्न कुटे-पीसे खाद्यान्न आँडू अन्य फल सुखे फल	0.5 1.0 0.5 0.5 (वसा के आधार पर) 0.2 (कार्कस वसा के आधार पर) 0.2 (छिलका के आधार पर) 0.025 0.006 1.0 2.0 0.1 (छिलके रहित के आधार पर) 0.2
32.	फार्मोथिओन (डाइमथेएटो और इसके आक्सीजन अनुरूप के रूप में अवधारित और डाइमथेएटो के रूप में व्यक्त किया जाएगा सिर्वोय इसके कि सिद्ध फल के मामले में जहां इसे फार्मोथिओन के रूप में अवधारित किया जाएगा)	सिद्ध फल अन्य फल शाक	1.0 2.0

(1)	(2)	(3)	(4)
		काली मिर्च और टमाटर	1.0
		खाद्यान्न	0.025
33.	मोनोक्रोटोफोस	कुटे पीसे खाद्यान्न	0.006
		सिंट्रल फल	0.2
		अन्य फल	1.0
		गांजर, शलगम आदू और चुकन्दर	0.05
		प्याज और मटर	0.1
		अन्य शाक	0.2
		बिनौला	0.1
		बिनौला तेल (कच्चा)	0.05
		मांस और कुक्कुट	0.02
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.02
		अंडा	0.02 (छिलका रहित आधार पर)
		काफो (कच्ची फलियाँ)	0.1
		मिर्च	0.2
		इलायची	0.5
34.	पैराक्वेट डाइक्लोरोइड (पैराक्वेट धवायन के धनायन पर अवधारित)	खाद्यान्न	0.1
		कुटे पीसे खाद्यान्न	0.025
		आलू	0.2
		अन्य शाक	0.05
		बिनौला	0.2
		बिनौला तेल (खाद्य परिष्कृत)	0.05
		दूध (पूर्ण)	0.01
		फल	0.05
35.	फोसालोन	नाशपाती	2.0
		सिंट्रल फल	1.0
		अन्य फल	5.0
		आलू	0.1
		अन्य शाक	1.0
		रेपसीड तेल/सरसों तेल (अपरिष्कृत)	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)
36.	ट्राइक्लोरोफोन	खाद्यान्न कुटे पीसे खाद्यान्न चुकन्दर फल और शाक तिलहन खाद्य तेल (परिष्कृत) मांस और कुक्कुट दूध (पूर्ण)	0.05 0.0125 0.05 0.1 0.1 0.05 0.1 0.05
37.	थियोमेटन (अवशिष्टों को थियोमेटन सल्फाक्साइड और सल्फोन के रूप में अवधारित और थियोमेटन के रूप में व्यक्त किया जाएगा)	खाद्यान्न	0.025
		कुटे पीसे खाद्यान्न फल आलू, गाजर और चुकन्दर अन्य शाक	0.006 0.5 0.05 0.5
38.	ऐसिफेट	कुसुम्प बिनौला	2.0 2.0
39.	मेथीमाडोफोन (ऐसिफेट का चयापचित)	कुसुम्प बिनौला	0.1 0.1
40.	एलडीकार्ब (एलडीकार्ब, उसके सल्फोक्साइड और सल्फोन का योग, जो एलडीकार्ब के रूप में अभिव्यक्त हो)	आलू	0.5
41.	ऐट्रेजाइन	चबाने का तम्बाकू मुटदा गन्ना	0.1 शून्य 0.25
42.	कार्बोण्डेजिम	खाद्यान्न कुटे पीसे खाद्यान्न सञ्जियां आम केला (संपूर्ण) अन्य फल बिनौला मूंगफली	0.50 0.12 0.50 2.00 1.00 5.00 0.10 0.10

(1)	(2)	(3)	(4)
		चुकन्दर	0.10
		मेवे (सूखे फल)	0.10
		अंडे	0.10 (छिलकारहित आधार पर)
		मांस और कुक्कुट	0.10 (कार्कस बसा के आधार पर)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.10 (बसा के आधार पर)
43.	बेनोमिल	खाद्यान्न	0.50
		कुटे पीसे खाद्यान्न	0.12
		सब्जियाँ	0.50
		आम	2.00
		केला (संपूर्ण)	1.00
		अन्य फल	5.00
		विनौला	0.10
		मूँगफली	0.10
		चुकन्दर	0.10
		सूखे फल	0.10
		अंडे	0.10 (छिलकारहित आधार पर)
		मांस और कुक्कुट	0.10 (कार्कस बसा के आधार पर)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.10 (बसा के आधार पर)
44.	कैपटेन	फल और सब्जियाँ	15.00
45.	काबोफूरन (काबोफूरन और 3-हाइड्रोक्सी काबोफूरन का योग जिसे काबोफूरन के रूप में व्यक्त किया गया है)	खाद्यान्न	0.10
		कुटे पीसे खाद्यान्न	0.03
		फल और सब्जियाँ	0.10
		तिलहन	0.10
		गन्ना	0.10
		मांस और कुक्कुट	0.10 (कार्कस बसा के आधार पर)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.05 (बसा के आधार पर)
46.	ताम्र अक्सीक्लोरोइड (ताम्र के रूप में अवधारित) फल		20.00
		आलू	1.00
		अन्य सब्जियाँ	20.00

(1)	(2)	(3)	(4)
47.	साइपरमैथिरिन (आइसोमर का योग) (बसा विलेय अवशिष्ट)	गेहूं के दाने	0.05
		कूटे पिसे गेहूं के दाने	0.01
		बैगन	0.20
		बंद गोभी	2.00
		भिंडी	0.20
		भूगंफली को छोड़कर तिलहन	0.20
		मांस और कुक्कुट	0.20 (कार्कस बसा के आधार पर)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.01 (बसा के आधार पर)
48.	डेकामेश्रिन/डेल्डमेश्रेन	बिनौला	0.10
		खाद्यान्न	0.50
		कूटे पिसे खाद्यान्न	0.20
		चावल	0.05
49.	एडीफेनफोस	चावल	0.02
		चावल भूसी	1.00
		अंडे	0.01 (छिलका रहित के आधार पर)
		मांस और कुक्कुट	0.02 (कार्कस बसा के आधार पर)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.01 (बसा के आधार पर)
50.	फेनथिअॉन (फेनथिअॉन, उसके आक्सीजन अनुषंगी उनके सल्फोक्साइडों और सल्फोनो का यो, जिन्हें फेनथिअॉन के रूप में व्यक्त किया गया है)	खाद्यान्न	0.10
		कूटे पिसे खाद्यान्न	0.03
		प्याज	0.10
		आलू	0.05
		फलियाँ	0.10
		मटर	0.50
		टमाटर	0.50
		अन्य सब्जियाँ	1.00
		खरबूजा	2.00
		मांस और कुक्कुट	2.00 (कार्कस बसा के आधार पर)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.05 (बसा के आधार पर)

(1)	(2)	(3)	(4)
51.	फैनबैटरेट (वसा विलेय अवशिष्ट)	फूल गोभी बैगन मिठी बिनौला बिनौला तेल मास और कुक्कुट दूध और दुग्ध उत्पाद	2.00 2.00 2.00 0.20 0.10 1.00 (कार्कस वसा के आधार पर) 0.01 (वसा के आधार पर)
52.	डाइथायोकार्बोमेट (अवशिष्ट सह्यता सीमाएं अवधारित की जाती हैं और मि.ग्रा./सीएस2/ कि.ग्रा. के रूप में व्यक्त की जाती हैं और डाइथायोकार्बोमेट के किन्हीं या प्रत्येक समूहों से व्युत्पन्न अवशिष्टों को पृथक्त निर्दिष्ट करके)	खाद्यान्न	0.20
	(क) फेरबैम या जीरम के उपयोग से परिणामी डाइमेरिल डाइथायोकार्बोनेट अवशिष्ट और	कूटे पिसे खाद्यान्न आलू टमाटर चेरी	0.05 0.10 3.00 1.00
	(ख) मनकोजेब, मैनोब या जिनेब (जिसके अंतर्गत जो नाबेभ धन जिक सलफेट से व्युत्पन्न जिनेब भी है) के उपयोग से परिणामी ऐथिलोन द्वितसडाइथायो कार्बोनेट	अन्य फल	3.00
	(ग) मैनकोजेब	मिर्च	1.0
53.	फेनथेपेट	खाद्यान्न कूटे पिसे खाद्यान्न तिलहन खाद्य तेल अंडे मास और कुक्कुट दूध और दुग्ध उत्पाद	0.05 0.01 0.03 0.01 0.05 (छिल्का रहित के आधार पर) 0.05 (कार्कस वसा के आधार) 0.01 (वसा के आधार पर)
54.	फोरेट (फोरेट उपकरण अनुषंगी और उनके सलकार्य तथा सल्कोन का द्योग किन्हें फोरेट के रूप में व्यक्त किया गया है)	खाद्यान्न कूटे पिसे खाद्यान्न टमाटर अन्य सब्जियाँ फल तिलहन	0.05 0.01 0.10 0.05 0.05 0.05

(1)	(2)	(3)	(4)
		खाद्य तेल	0.03
		गन्ना	0.05
		अंडे	0.05 (छिलका रहित के आधार पर)
		मांस और कुक्कुट	0.05 (कार्कस वसा के आधार)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.05 (वसा के आधार पर)
55.	सिमाजाइन	मक्का	शून्य
56.	पिरिमिफोस - मेथिल	गन्ना	0.25
		चावल	0.50
		चावल को छोड़कर खाद्यान्न	5.00
		चावल को छोड़कर कूटे पिसे खाद्यान्न	1.00
		अंडे	0.05 (छिलका रहित के आधार पर)
		मांस और कुक्कुट	0.05 (कार्कस वसा के आधार पर)
		दूध और दुग्ध उत्पाद	0.05 (वसा के आधार)
57.	अलकलोर	बिनौला	0.05
		मूंगफली	0.05
		मक्का	0.10
		सोयाबीन	0.10
58.	अल्फानेफथाइल एसेटिक अम्ल (एएनए)	अनानास	0.50
59.	बाइट्रट्युनोल	गेहूँ	0.05
60.	कैट्टाफोल	मूंगफली	0.10
61.	कार्टाफाइड्रोक्लोरोइड	टमाटर	5.00
62.	क्लोरमेक्ट्रिक्लोरोइड	चावल	0.50
63.	क्लोरोथालोनिल	अंगूर	1.00
		बिनौला	1.00
		मूंगफली	0.10
		आलू	0.10
		बिनौला	0.20
64.	डाईफ्लूबेंजूरान	सेब	5.00
65.	डोडाइन	बिनौला	1.00
66.	डाईयूरान	केला	0.10
		मक्का	0.50

(1)	(2)	(3)	(4)
67.	एथिफोन	सिटरस (मीठा संतरा)	1.00
		अंगूर	1.00
		अनानास	2.00
		कॉफी	0.10
		टमाटर	2.00
		आम	2.00
68.	फ्लूक्टोरालिन	बिनौला	0.05
		सोयाबीन	0.05
69.	मैलिक हाइड्रोजाइड	प्याज	15.00
		आलू	50.00
70.	मेटालाइक्सिल	बाजरा	0.05
		मङ्गका	0.05
		सोर्गम	0.05
71.	मिथोमाइल	बिनौला	0.10
72.	मिथाइल ब्ल्टोरो-फिनोक्सी-एसेटिक अम्ल (एम.सी.पी.ए.)	चावल	0.05
		गेहूं	0.05
73.	ओक्साडायाजोन	चावल	0.03
74.	ओक्सिडिमेटोन मिथाइल	खाद्यान्न	0.02
75.	पर्मिश्रिन	खीरा	0.50
		बिनौला	0.50
		सोयाबीन	0.05
		सूखे मुखी का बीज	1.00
76.	व्यूनोलफोस	चावल	0.01
		अरहर	0.01
		ईलाइची	0.01
		चाय	0.01
		मछली	0.01
		मिर्च	0.2
77.	थियोफेनटेमिथाइल	सेब	5.00
		पटोता	7.00
78.	ट्रायाजोफेस	मिर्च	0.2
		चावल	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)
		बिनौले का तेल	0.1
		सोयाबीन का तेल	0.05
79.	प्रोफेनोफोस	बिनौले का तेल	0.05
80.	फेनप्रोपेथरीन	बिनौले का तेल	0.05
81.	फेनासिमोल	सेब	5.0
82.	हेक्साकोन्जाजोल	सेब	0.1
83.	आइप्रोडायोन	रेप सीड	0.5
		सरसो के बोज	0.5
		चावल	10.0
		टमाटर	5.0
		अंगूर	10.0
84.	ट्राइडिमोर्फ	गेहूँ	0.1
		अंगूर	0.5
		आम	0.05
85.	पेन्कोनाजोल	अंगूर	0.2
86.	प्रोपिकोनाजोल	गेहूँ	0.05
87.	माइक्लोबूटानिल	मूंगफली के बोज	0.1
		अंगूर	1.0
88.	सल्फोसल्फ्यूरोन	गेहूँ	0.02
89.	ट्राईफ्लूरालिन	गेहूँ	0.05
90.	इथोक्सीसल्फ्यूरोन	चावल	0.01
91.	मेटोलाक्सोर	सोयाबीन का तेल	0.05
92.	म्लाइफास्फेट	चाय	1.0
93.	लिनूरोन	मटर	0.05
94.	आॉक्सफ्लूआफ्टेन	चावल	0.05
		मूंगफली का तेल	0.05
95.	कार्बोसल्फान	चावल	0.2
96.	ट्राइसाइक्लाजोल	चावल	0.02
97.	इमिडाक्लोप्रिड	बिनौले का तेल	0.05
		चावल	0.05
98.	ब्यूटाक्लोर	चावल	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)
99.	बलोरिन्हूरेन-ईथाइल	गेहूं	0.05
100.	डिक्लोफोप प्रिथाइल	गेहूं	0.1
101.	मेट्रिब्यूजिन	सोयाबीन का तेल	0.1
102.	लेम्बडासाईंहस्टोअरिन	बिनौले का तेल	0.05
103.	फेनाजाव्यून	चाय	3.0
104.	पेन्डिमेशलिन	गेहूं	0.05
		चावल	0.05
		सोयाबीन तेल	0.05
		बिनौले का तेल	0.05
		चावल	0.05
105.	प्रिटिलाक्लोर	बिनौले	0.05
106.	फ्लूवालिनेट	गेहूं	0.1
107.	मेटास्ट्रेप्यूरेन मिथाइल	गेहूं	0.5
108.	मेथाबेंजिथियाज्यूरेन	सोयाबीन का तेल	0.1
109.	इमाजिथ्रापायर	भूंगफली का तेल	0.1
		चावल	0.5
110.	साइहलोफोप ब्यूट्राइल	गेहूं	0.05
111.	ट्रिपार्लेट	बिनौले का तेल	0.02
112.	स्पिनोसाड	पत्तागोभी	0.02
		फूलगोभी	0.02
		चावल	0.02
113.	थियामेथोक्सम	चावल	0.01
114.	फेनोब्यूकार्ब	बिनौले का तेल	0.02
115.	थियोडाशाकार्ब	चावल	0.1
116.	एनिलोफोस	गेहूं	0.02
117.	फिनोक्सी-प्रोप-पीथाइल	सोयाबीन का तेल	0.02
		चाय	0.01
118.	ग्लुफोसिनाटे-अमोनियम	गेहूं	0.1
119.	बलोडिनाफोप-प्रोपानायल	सेब	0.1
120.	डाइथियानोन	चावल	0.2
121.	किटाजिन	चावल	0.1
122.	आइसोप्रोथियोलिन		

(1)	(2)	(3)	(4)
123.	एसिटामाइप्रिड	बिनौले का तेल	0.1
124.	साइमोक्सानिल	आंगूर	0.1
125.	ट्रायोडाइमिफोन	गेहूं	0.5
		मटर	0.1
		आंगूर	2.0
126.	फोसिटाइल-ए।	आंगूर	10
		इलाइची	0.2
127.	आइसोप्रोट्यूरोन	गेहूं	0.1
128.	प्रोपरजाईट	चाय	10.0
129.	डाईफिनोकोनाजोल	सेब	0.01
130.	बी-साइफ्लूथ्रिन	बिनौला	0.02
131.	इथोफेनप्रोक्स	चावल	0.01
132.	बाईफेनथ्रिन	बिनौला	0.05
133.	बेनफ्यूराकार्ब	लाल चना	0.05
		चावल	0.05
134.	क्यूजालोफोप-ईथाइल	सोशाबीन का बीज	0.05
135.	फ्लूफेनासेट	चावल	0.05
136.	ब्यूप्रोफेजिंग	चावल	0.05
137.	डाइमेथोसेफ	आंगूर	0.05
		आलू	0.05
138.	ब्लोरफिनोपायर	फूलगोभी	0.05
139.	इंडोक्सकार्ब	बिनौला	0.1
		बिनौले का तेल	0.1
		फूलगोभी	0.1
140.	मेटाइरम	टमाटर	5.0
		मूंगफली के बीज	0.1
		मूंगफली के छोले का तेल	0.1
141.	ल्यूर्कुओन	फूलगोभी	0.3
142.	कारप्रोपामिड	चावल	1.0
143.	नोवालूरोन	बिनौला	0.01
		बिनौले का तेल	0.01

1	2	3	4
144.	ओक्साडायर्जिल	टप्पटर	0.01
145.	फाइरजोसल्फ्यूरेन ईथाइल	फूलगोदी	0.01
146.	क्लोमाइडेन	चावल	0.1
147.	टेबूकोनाइजेल	चावल	0.01
148.	प्रोपाइनेच	चावल	0.01
149.	थियोक्लोरोप्रिड	सोयाकीन के बीज सोयाकीन के बीज का तेल	0.01 0.01
		नेहूं	0.05
		सेब	1.0
		अनार	0.5
		आलू	0.5
		हरी मिर्च	2.0
		अंगूर	0.5
		बिनौला	0.05
		बिनौले का तेल	0.05
		चावल	0.01

* जल में घुलनशील है, इसलिए वसा आधार पर उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजन के लिए -

(क) "कोटनाशी" पद का वही अर्थ होगा जो कोटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) में है;

(ख) जब तक अन्यथा कथित न किया गया हो-

(i) अधिकतम संपूर्ण उत्पाद के आधार पर मि.ग्रा./कि.ग्रा. में अभिव्यक्त किए गए हैं;

(ii) सभी खाद्य वाणिज्यगामी कृषि उत्पादों के प्रति निर्देश करते हैं।

2.3.2 : प्रतिजीवाणु और अन्य औषधीय रूप से सक्रिय तत्व :

(1) समुद्री खाद्य, जिसमें समुद्री केकड़ा, झोंगा या अन्य किस्म की मछली और मछली उत्पाद सम्मिलित हैं, पर नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित प्रतिजीवाणु की मात्रा की सहाय सीमा स्तम्भ (3) में विहित सीमा से अधिक नहीं होगी -

सारणी

क्र.सं.	प्रतिजीवाणु का नाम	सहाय सीमा मि.ग्रा./ कि.ग्रा. (पीपीएम)
1.	टेट्रासाइक्लिन	0.1
2.	आक्सी टेट्रासाइक्लिन	0.1
3.	ट्राइमेथोप्रिम	0.05
4.	आक्सोलिनिक अम्ल	0.3

(2) किसी समुद्री खाद्य इकाई में, जिसमें समुद्री केकड़ा, झींगा या अन्य किसी की मछली और मछली उत्पाद भी सम्मिलित है, प्रसंस्करण में निम्नलिखित प्रतिजैविकों और अन्य औषधीय रूप से सक्रिय तत्वों में से किसी के उपयोग पर प्रतिषेध होगा -

- (i) सभी नाइट्रोफ्यूरान, जिसमें सम्मिलित हैं
- (ii) फ्यूरालटाडोन
- (iii) फ्यूराजोलिडोन
- (iv) फ्यूराइलफ्यूरामाइड
- (v) नाइफ्यूराटेल
- (vi) नाइफ्यूरोजाइम
- (vii) नाइफर पराजाइन
- (viii) नाइट्रोफरनेटोन
- (ix) नाइट्रोफ्यूराजोन
- (x) क्लोरामफेनिकाल
- (xi) नियोमाइसिन
- (xii) नालीडाइक्सिक अम्ल
- (xiii) सल्फा मेथेक्साजोल
- (xiv) अरिस्टोलोचिया एससीपी और उसकी विनिर्मितियाँ
- (xv) क्लोरोफार्म
- (xvi) क्लोरोप्रोमेजाइन
- (xvii) कोलचिस्साइन
- (xviii) डेपसाने
- (xix) डाइनेट्राइग्लोल
- (xx) श्रीटरोनाइडाजोल
- (xxi) रेनाइडाजोल
- (xxii) डिमेनाइडाजोल
- (xxiii) अन्य नाइट्रोमाइडाजोल्स
- (xxiv) क्लोरब्यूटिरोल
- (xxv) डाइग्लिस्टिटेस्ट्रोल (उत्तरी)
- (xxvi) सल्फानेथाइड ड्रास (स्लिप्पर अनुबोदित सल्फाइडिमिथानिलेन, सल्फा ल्रीनेथाजोल, सल्फा फैडेट्रोनोएथराइड, ज़िक्स)
- (xxvii) एट्रूजोर्सेट्टोलोलोन्स
- (xxviii) ग्लाइकोप्रेटाइडेस

द्वा. एन. गौड़, मुख्य कानूनकारी अधिकारी
[दिनांक: 11/4/187-अंक/11/वर्ता]